भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *144

(दिनांक 02.08.2021 को उत्तर देने के लिए)

ओ टी टी प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक सामग्री

***144. श्री सतीश चंद्र दुबेः**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ओवर द टॉप (ओ टी टी) प्लेटफॉर्म द्वारा प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को रोकने हेतु कोई नियम/कानून मौजूद नहीं है और क्या इन सामग्रियों के जरिए देश की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं और विश्वासों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसे मंचों पर उपलब्ध सामग्रियाँ किशोरों की मनोवृत्ति को नकारात्मक बना सकती है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार अब ओ टी टी प्लेटफार्म इसी मंत्रालय के दायरे में आते हैं और क्या मंत्रालय के पास कोई विशिष्ट कानून मौजूद है जो जनता के सम्मान, भावनाओं का ख्याल रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए ओ टी टी प्लेटफॉर्मों का नियमन करता हो?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 02.08.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *144 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।

इन नियमों के भाग-III में अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा पालन किए जाने हेतु आचार संहिता का प्रावधान है। ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए आचार संहिता में सामग्री चलाने, सामग्री के आयु आधारित पांच श्रेणियों में वर्गीकरण करने, ऐसे वर्गीकरण का प्रदर्शन करने और उच्च रेटेड सामग्री की बच्चों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए प्लेटफॉर्मों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु सामान्य सिद्धांत विनिर्दिष्ट हैं। इन नियमों की अनुसूची में सामग्री वर्गीकरण के मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित हैं।

इन नियमों में प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित तीन-स्तरीय शिकायत निपटान तंत्र का भी प्रावधान है।

कार्य नियतन नियमावली (09.11.2020 को यथासंशोधित) के अनुसार समाचार और समसामयिकी विषयों की सामग्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑडियो-विजुअल सामग्री से संबंधित विषय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिदेश के तहत है।

*****